

2019/48

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

मिसल न० 34/प्रा०पत्र/19


मांगीलाल आ० जगन्नाथ लोधा नि० ग्राम महेशपुरा तहसील बकानी
बनाम
तहसीलदार बकानी वगै०

अपील बनाराजगी आदेश कार्यालय तहसीलदार बकानी दिनांक
14.08.2019 जिसके द्वारा खसरा न० 16 की कोट हटाये जाने बाबत।

21/8/19

प्रा०पत्र स्थगन आदेश

प्रा०पत्र मूल अपील के साथ प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से ऐसे कोई ठोस तथ्य दर्शित नहीं होते हैं जिस कारण प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का अनुतोष दिया जा सके। इस दशा में प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रा.पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फौसल शुमार होकर मूल अपील के सलंगन हो।


जिला कलक्टर
झालावाड़